उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

अधिसूचना

09 सितम्बर, 2019

सं0 एफ–9(30)(i)/आरजी/यूईआरसी/2019/900–विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 की उपधारा 2 (आर) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उक्त अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (5) के साथ पठित, तथा इस निमित्त सभी शक्तियों से सक्षम होकर, तथा पूर्व प्रकाशन के उपरान्त उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग एदत्द्वारा 'उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (सदस्यों की नियुक्ति तथा उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए फोरम द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के लिए दिशा–निर्देश) विनियम, 2019' में संशोधन कर निम्न विनियम बनाता है:

अध्याय 1 : प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम, उपयुक्तता, प्रारम्भ व निर्वचन**

(1) इन विनियमों का नाम उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायत निवारण हेतु सदस्यों की नियुक्ति तथा मंच द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया संबंधी दिशा–निर्देश) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2019 होगा।

(2) ये विनियम पूरे उत्तराखण्ड राज्य पर लागू होंगे।

(3) ये विनियम उत्तराखण्ड के क्षेत्र में वितरण अनुज्ञप्तिधारी (यों) पर उनके सम्बन्धित अनुज्ञप्ति–क्षेत्र में लागू होंगे।

(4) ये विनियम सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

(5) ऐसे शब्दों व वाक्यांश का, जो इन विनियमों में प्रयुक्त तो हुए हैं, पर उनको यहाँ परिभाषित नहीं किया गया है, परन्तु विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) में उनकी व्याख्या की गई है, तो यहाँ भी उन शब्दों व वाक्यांशों का वही अर्थ माना जाएगा।

2. **मुख्य विनियमों के नियम 2.2 के उप नियम (1), निम्न प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्**

(1) *फोरम के न्यायिक सदस्य ऐसे सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश/अतिरिक्त जिला न्यायाधीश अथवा सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री रखने वाले व्यक्ति, जिसे कानूनी मामलों में कम से कम 20 वर्ष का अनुभव हो तथा 45 वर्ष की आयु से कम न हो।*

3. **मुख्य विनियमों के नियम 2.2 के उप नियम (2), निम्न प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्**

(2) *उपभोक्ता सदस्य आयोग द्वारा नामित किया जाएगा एवं वह ऐसा गणमान्य व विख्यात व्यक्ति होगा, जिसने विद्युत उपभोक्ताओं से सम्बन्धित जानकारी को निकट से देखा हो एवं इनका उसे पर्याप्त अनुभव हो तथा 45 वर्ष की आयु से कम न हो।*

आयोग की आज्ञा से,

नीरज सती,
सचिव,
उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग।

(टिप्पणी—यह विनियम अंग्रेजी विनयम का हिन्दी रूपान्तरण है, किसी भी तरह के निर्वचन अथवा विवाद (व्याख्या) के लिए अंग्रेंजी विनियम अन्तिम एवं मान्य होगा।)